12

सामूहिक बीमा योजना

विषय सूची

क्र0 सं0	विषय	शासनादेश सं0 तथा दिनांक	पृष्ठ संख्या
1	उत्तरांचल राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के अन्तर्गत "बचत निधि" में जमा धनराशि पर ब्याज की दरों में संशोधन	सं0–582 / वि0अनु0–3 / 2002, देहरादून, दिनांक–11 अक्टूबर, 2002	177–178
2	उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के अन्तर्गत मासिक अभिदान आच्छादन के निमित्त वेतनमानों का वर्गीकरण	सं0–16 / XXVII(7)सा0बीमा / 2005, देहरादून, दिनांक–24 अक्टूबर, 2005	179–180
3	उत्तराखण्ड राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के अन्तर्गत मासिक अभिदान एवं आच्छादन की धनराशि का दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य ग्रेड वेतन के आधार पर पुनरीक्षण	सं0–37 / XXVII(7)स्पबी0 यो0 / 2009, देहरादून, दिनांक–13 फरवरी, 2009	181–182

संख्या : 582/वि0अनु0–3/2002

प्रेषक,

इन्दु कुमार पाण्डें,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष
एवं समस्त प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तरांचल।

वित्त अनुभाग–3 देहरादूनः दिनांक 11 अक्टूबर, 2002

विषय– उत्तरांचल राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के अन्तर्गत ''बचत निधि'' में जमा धनराशि पर ब्याज की दरों में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आपका ध्यान शासनादेश संख्याः बीमा–1027/दस–90–87/83, दिनांक 05–07–1990 की ओर आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश के प्रस्तर–1 में व्यवस्था है कि उ0प्र0 राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के अन्तर्गत समूह ''क'', ''ख'' एवं ''घ'' के अधिकारियों/कर्मचारियों के मासिक अभिदानों में बचत निधि में जमा धनराशि पर 12 प्रतिशत की दर से त्रैमासिक चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाएगा। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि चूँकि भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या : 7(1)/संस्था /2001, दिनांक 21–01–2002 द्वारा केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना हेतु ''बचत निधि'' पर दिनांक 1–3–2002 से ब्याज की दर 9.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष (संयोजित त्रैमासिक) कर दी गई है अतः शासन ने समयक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया है कि दिनांक 01–03–2002 से उत्तरांचल राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के अन्तर्गत समूह ''क'', ''ख'', ''ग'' एवं ''घ'' के अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु उक्त निधि में जमा धनराशि पर ब्याज 9.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष (संयोजित त्रैमासिक) की दर से दिया जायेगा।

2. उक्त संशोधन इस प्रतिबन्ध के अधीन है कि शासनादेश निर्गत होने की तिथि से पूर्व भुगतानित प्रकरण पुनरोद्घाटित नहीं किए जायेंगे।

3. मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि चूँकि उत्तरांचल राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना का क्रियान्वयन ''केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना'' के अनुरूप किया जाता है, अतः यह भी निर्णय लिया गया है कि भविष्य में भारत सरकार द्वारा ''केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना'' हेतु बचत निधियों की ब्याज दरों में जो भी परिवर्तन किया जायेगा, तद्नुसार ''उत्तरांचल राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत निधि में जमा धनराशि'' पर ब्याज की दरें भी स्वतः संशोधित मानी जायेगी।

भवदीय,

इन्दु कुमार पाण्डे
प्रमुख सचिव, वित्त।

संख्या–582 / वि0अनु0–3 / 2002, तद्दिनांक:

प्रतिलिपि–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल, इलाहाबाद, उ0प्र0।
2. समस्त कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
3. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

के0 सी0 मिश्र
अपर सचिव, वित्त।

संख्या 16 /XXVII(7) सा0बीमा/2005

प्रेषक,

इन्दु कुमार पाण्डे,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष तथा,
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तरांचल।

वित्त अनुभाग – 7 देहरादून, दिनांक : 24 अक्टूबर, 2005

विषयः– उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के अन्तर्गत मासिक अभिदान आच्छादन के निमित्त वेतनमानों का वर्गीकरण।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या– बीमा–9 59/दस–93–189 (ए)/89, दिनांक 25 जून, 1993 के सन्दर्भ में मझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (पद मापदण्ड निर्धारण) अनुभाग के शासनादेश संख्या– प0मा0नि0–356/दस–22(एम)/97, दिनांक 23.12.1997 द्वारा दिनांक 01.01.1996 से पुनरीक्षित वेतनमानों को स्वीकृत किये जाने के फलस्वरूप उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 25.06.1993 द्वारा पुराने वेतनमानों के आधार पर किये गये उ0प्र0 राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के अन्तर्गत मासिक अभिदान व आच्छादन के वर्गीकरण उत्पन्न होने वाली विसंगतियों के निराकरण हेतु श्री राज्यपाल महोदय दिनांक 01.01.1996 से लागू पुनरीक्षित वेतनमानों के आधार पर उक्त योजना में निम्न तालिका के अनुसार मासिक अभिदान की कटौती तथा बीमा आच्छादन प्रदान किये जाने के आदेश प्रदान करते हैं :–

कमांक	वेतनमान	मासिक अभिदान की दर	बीमा निधि	बचत निधि	बीमा आच्छादन की धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	वेतनमान का अधिकतम रू0 13501 या इससे अधिक	120	36	84	120000
2	वेतनमान का अधिकतम रू0 7000 से 13500 तक	60	18	42	60000
3	वेतनमान का अधिकतम रू0 6999 तक	30	9	21	30000

2– मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उक्त तालिका में अंकित पुनरीक्षित वेतनमानों के अनुरूप मासिक अभिदान की दरों एवं बीमा आच्छादन को निम्नलिखित शर्तों व प्रतिबन्धों के अधीन लागू किया जायेगा :–

Vn-3

(क) उक्त आदेश दिनांक 01.09.2003 से प्रभावी माने जायेंगे।

(ख) जिन कर्मचारियों के पद का वेतनमान दिनांक 01.01.1996 के पूर्व रू0 1350–2200 था तथा दिनांक 01.01.01996 से पुनरीक्षित वेतनमान रू0 4500–7000 हो गया है, के वेतन से दिनांक 31 अगस्त, 2003 तक मासिक अभिदान रू0 30/– की दर से लिया जायेगा तथा बीमा आच्छादन की धनराशि रू0 30,000/– होगी, किन्तु उक्त तिथि के पश्चात् अर्थात् दिनांक 01.09.2003 से उक्त वेतनमान हेतु मासिक अभिदान के दर रू0 60/– तथा बीमा आच्छादन की धनराशि रू0 60,000/– होगी।

(ग) पूर्व में निस्मारित किसी प्रकरण को इस शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में पुर्नजीवित नहीं किया जायेगा।

(घ) वेतनमानों का उक्त वर्गीकरण मात्र सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत कटौती की जाने वाली धनराशि तथा इसके विरूद्ध देय आच्छादन तक ही सीमित है तथा इसका सेवा समूहों के वर्गीकरण से कोई संबंध नहीं है।

(ड़) उ0प्र0 राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के सम्बन्ध में निर्गत समस्त शासनादेश केवल इस सीमा तक ही संशोधित समझे जायेंगे।

भवदीय,

(इन्दु कुमार पाण्डे)
प्रमुख सचिव

संख्या 16 (1)/XXVII(7) सा0बीमा/2005 एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2. श्री राज्यपाल सचिवालय।
3. विधान सभा सचिवालय।
4. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
5. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तरांचल, देहरादून।
6. निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल, देहरादून को उनके पत्र संख्या–9390/वि0ले0ह0/मा0 बी0–38/2003, दिनांक 19 सितम्बर, 2005 के सन्दर्भ में।
7. पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, उत्तरांचल, देहरादून।
8. समस्त कोषाधिकारी,उत्तरांचल/इरला चेक/भुगतान व लेखाधिकारी, नई दिल्ली।
9. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0 आई0 सी0, देहरादून एकक, उत्तरांचल।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(टी0 एन0 सिंह)
अपर सचिव

संख्याः 37/xxvii(7)सा0बी0यो0/2009

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड शासन ।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7 देहरादूनःदिनॉकः 13फरवरी,2009

विषयः– उत्तराखण्ड राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के अन्तर्गत मासिक अभिदान एवं आच्छादन की धनराशि का दिनांक 01 जनवरी,2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य ग्रेड वेतन के आधार पर पुनरीक्षण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय शासनादेश संख्या:395/xxvii(7)/2008 दिनांक 17 अक्टूबर,2008 के द्वारा प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कार्मिकों के वेतनमानों का दिनांक 1–1–2006 से पुनरीक्षण किया गया है। इस संबंध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिये राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के अन्तर्गत मासिक अभिदान एवं आच्छादन के निमित्त दिनांक 01 जनवरी,2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य ग्रेड वेतन के आधार पर निम्न तालिका के अनुसार सामूहिक बीमा आच्छादन की धनराशि, मासिक अभिदान की दर, बीमा निधि एवं बचत निधि की पुनरीक्षित दरों को लागू किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्रमांक	पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य ग्रेड वेतन	मासिक अभिदान की दर	बीमा निधि	बचत निधि	बीमा आच्छादन की धनराशि
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	रू02800 तक	100	30	70	1,00,000
2	रू0 2801 से रू0 5400	200	60	140	2,00,000
3	रू0 5401 से अधिक	400	120	280	4,00,000

3–मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उक्त तालिका में अंकित पुनरीक्षित वेतनमानों की संरचना में अनुमन्य ग्रेड वेतन के अनुरूप मासिक

अभिदान की दरों एवं बीमा आच्छादन को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन लागू किया जायेगा।

(क)उक्तानुसार पुनरीक्षित दर से मासिक अंशदान की कटौती मार्च,2009 का वेतन देय 1 अप्रैल,2009 से प्रारम्भ कर दी जाएगी।

(ख)पूर्व में निस्तारित किसी प्रकरण को इस शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में पुर्नजीवित नहीं किया जायेगा।

(ग)वेतनमानों की संरचना का उक्त वर्गीकरण मात्र सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत कटौती की जाने वाली धनराशि तथा उसके विरूद्ध देय आच्छादन तक ही सीमित है तथा इसका सेवा संवर्गों के वर्गीकरण से कोई संबंध नहीं है।

(घ)उत्तराखण्ड राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के संबंध में पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या 16/XXVII(7) सा0बीमा/2005 दिनांक 24 अक्टूबर,2005 इस शासनादेश प्रभावी होने की तिथि से उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाएगा।

भवदीय,

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव।

संख्याः 37 (1)/XXVII(7)/2009 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1 महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, नैनीताल, देहरादून।
6. स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
7. पुनर्गठन आयुक्त, उत्तराखण्ड, विकास भवन, लखनऊ।
8. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडीटर उत्तराखण्ड देहरादून।
9. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड, ।
10. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
11 इरला चैक अनुभाग उत्तराखण्ड,, देहरादून।
12. निदेशक, एन0 आई0 सी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
13. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(टी0एन0सिंह)
अपर सचिव।